

फार्म - 2

नियम 18(1) तदनुसार

जारी किया गया

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र

दिनांक 11.6.2015

दिनांक 11.6.2015

अनादी ग्रुप
कंचनार रोड़ी बिहार विहाईड शांती इंटर प्राईवेट
इस्टिमा, रोड़ी
भारखण्ड सरकार, रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी का कार्यालय, रोड़ी।

डेटा मजदूर (निर्निवृत्त एवं उन्मूलित) अभिनियम, 1970 की धारा 7 की उपधारा (2) और तदधीन बना नियमावली के अन्तर्गत
द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र 100 (एक सौ) कामगारों के नियोजन के लिए मंजूर किया जाता है।

कामगारों में किये जानेवाले कार्य का स्वरूप :- विटली का कामगार

स्थापना में किये जानेवाले :-

उपरोक्तों के नाम एवं पता	कार्य का स्वरूप जिसमें डेटा मजदूर नियोजित हैं या नियोजित किये जायेंगे।	होकर उपरोक्तों के माध्यम से किराी भी दिन नियोजित किये जानेवाले डेटा मजदूर की अधिकतम संख्या।	डेटा मजदूरों के नियोजन के संबंध में अन्य ब्यौरे।
1.	2.	3.	4.

अनुमोदित/सत्यापित विटली का कामगार



रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी
भारखण्ड सरकार, रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी का कार्यालय, रोड़ी।